

संख्या— ७२६ /२५१/ नवलम/ त्रिवेम /२००१(५८४)

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार सिंह
निदेशक
सूडा।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)।

विषय:- मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2017 एवं 08.11.2017 के अनुपालन में जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय देने के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में रिट (याचिका) सिविल सं०— ५५/२००३ सम्बद्ध रिट याचिका सिविल संख्या ५७२/२००३ ई०आ०२० कुमार व अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य विचाराधीन है, जिसकी सतत मानीटरिंग मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा शहरी बेघरों को दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार अपेक्षित सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता, उनकी स्थापना करने की धीमी प्रगति के कारणों की जांच आदि के लिए मा० उच्चतम न्यायालय दिल्ली के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति जिसमें दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारी, सदस्य सचिव और संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, य०पी० सेल, भारत सरकार सदस्य हैं, गठित की गई है। समिति द्वारा प्रदेश में आश्रय गृहों के निर्माण/उपलब्धता की विगत अप्रैल 2017 में समीक्षा कर आख्या मा० सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई है, जिसके अनुसार उ०प्र० को Poor की श्रेणी में तथा कानपुर नगर को Extremely Poor की श्रेणी में दर्शाया गया है।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में विगत दिनांक 13.10.2017 (आदेश की प्रति संलग्न) को उक्त समिति की आख्या को संज्ञान में लेते हुए प्रतिकूल टिप्पणी की गई है तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत जनगणना 2011 के अनुसार पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध न करा पाने को संज्ञान में लेते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु समय रेखा सहित रोडमैप, दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु चयनित सभी शहरों में कार्यकारी समिति का गठन व बैठक, शहरों/नगरीय निकायों में संचालित/निर्माणाधीन शेल्टर होम में शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी का गठन एवं बैठक के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में राज्य सरकार की तरफ से मिशन निदेशक दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/निदेशक सूडा, उत्तर प्रदेश द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर दिनांक 08.11.2017 (आदेश की प्रति संलग्न) को सुनवाई के दौरान मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनगणना 2011 के अनुसार पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुपात में आश्रय उपलब्ध न करा पाने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में स्टेट काउंसिल एडवोकेट आन रिकार्ड ने अवगत कराया है कि प्रदेश में संचालित एवं निर्माणाधीन सभी प्रकार के शेल्टर्स होम के बाहरी एवं भीतरी फोटोग्राफ जिसमें शेल्टर होम में उपलब्ध सभी सेवायें/सुविधायें (बेड, कम्बल, अलमारी, लॉकर, मच्छरदानी/मॉस्कीटो मशीन, पंखे, पेयजल आदि) स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों के शेल्टर होम्स एवं शहरवार फोटोग्राफ्स के एलबम एवं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय को दी गयी 22 विन्दुओं की प्रश्नावली एवं जनगणना 2011 के अनुसार पाये गये सभी शहरी बेघरों को दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना में उल्लिखित सेवाओं/सुविधाओं एवं

मानकों के साथ आश्रय उपलब्ध कराने की समय रेखा के साथ रोडमैप तैयार कर विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई दिनांक 23.11.2017 को नियत है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से विस्तृत सूचना उपलब्ध कराया जाना है। शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु मुख्य रूप से शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर निगमों एवं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जनगणना 2011 में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुसार आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में मौजूद एवं निर्माणाधीन शेल्टर होम की क्षमता के अतिरिक्त अवशेष बेघरों को आश्रय गृह उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्काल प्रथम वरीयता के क्रम में भूमि का चिन्हांकन आगामी दो दिवसों में कराकर (1 शेल्टर होम के निर्माण हेतु न्यूनतम 400 वर्गमी० भूमि की उपलब्धता आवश्यक है) निदेशक सूडा को ई-मेल nulmup@gmail.com एवं pmusuda@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु आच्छादित 50,000 से एक लाख तक जनसंख्या वाले शहरों में एवं जिला मुख्यालय वाले सभी शहरों में जहाँ शेल्टर होम निर्मित/निर्माणाधीन नहीं हैं, वहाँ कम से कम 1 शेल्टर होम के निर्माण हेतु न्यूनतम 400 वर्गमी० की भूमि का चिन्हांकन उपरोक्तानुसार 02 दिवसों में कराकर सूचित किया जाना आवश्यक है ताकि तदानुसार शपथ पत्र में शेल्टर होम निर्माण की समयसीमा (Timeline) का उल्लेख किया जा सके।

उक्त के साथ ही जनपद मुख्यालय एवं जनपद के जिन-जिन निकायों में शेल्टर होम निर्मित है उनका संचालन सुचारू रूप से शासनादेश सं०- 3964/नौ-7-16-98(जनरल)/2016 दिनांक 28.11.2016 के अनुक्रम में कराना सुनिश्चित करायें। शहरी बेघरों को शेल्टर होम में आश्रय देने हेतु शहर के मुख्य स्थानों एवं जहाँ पर शहरी बेघर पाये जाते हैं वहाँ पर शहर में स्थित शेल्टर होम की सूचना की होर्डिंग भी लगवाना सुनिश्चित करें तथा मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा द्वारा प्रेषित पत्र के अनुक्रम में आश्रय में रहने वाले अन्तःवासियों की नियमित रूप से सूचना तदानुसार राज्य शहरी आजीविका मिशन को भेजना सुनिश्चित करायें। जो शेल्टर होम निर्माणाधीन है उनकी गहन समीक्षा करते हुए तेजी से निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए शीघ्र अति शीघ्र संचालन सुनिश्चित करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उल्लिखित बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही कराते हुए अपेक्षित सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के अवगतार्थ।
3. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक